Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में सहायक अभियंता व ग्राम विकास अधिकारी 60 हजार रुपये एवं गिरदावर 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *13 जूलाई, बुधवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सवाईमाधोपुर एवं टोंक इकाई द्वारा आज सवाईमाधोपुर में एक परिवादी की दो अलग–अलग शिकायतों पर कार्यवाही करते हुये महेश चंद गोयल सहायक अभियंता, पं.स. बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर व रिंकेश गर्ग ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत टूण्डिला, पं.स. बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से 60 **हजार रूपये** तथा रमेश चंद सोनी गिरदावर, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो, भू–अभिलेख शाखा, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यों की फाइलों को पास करने की एवज में महेश चंद गोयल सहायक अभियंता, पं.स. बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर व रिंकेश गर्ग ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत टूण्डिला, पं.स. बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रत्येक फाईल के 7 हजार रुपये के हिसाब से 20 फाइलों के **1 लाख 40 हजार** तथा बस दुर्घटना में मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि दिलवाने की एवज में कुल 42 फाईलों को पास करने की एवज में रमेश चंद सोनी गिरदावर, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो, भू–अभिलेख शाखा, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा 20 **हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर ए.सी.बी. जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस डॉ. विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी, सवाईमाधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायतों का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये रमेश चंद सोनी पुत्र श्री राधेश्याम सोनी निवासी सुनार मोहल्ला, बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर हाल गिरदावर, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो, भू–अभिलेख शाखा, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

इसी प्रकार एसीबी, टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश आर्य** के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये महेश चंद गोयल पुत्र श्री किरोड़ीलाल निवासी प्राईवेट बस स्टेण्ड के पीछे, गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी फ्लैट नं0 41, गोविन्दा कॉलोनी, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर हाल सहायक अभियंता, पं.स. बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर व रिंकेश गर्ग पुत्र श्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद निवासी तुलाराम मैरिज होम के पास, एच.पी. गैस एजेन्सी के पीछे, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत टूण्डिला, पं.स. बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से 60 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।